[2009] 2 उम. नि. प. 360

बबलू पासी

बनाम

झारखंड राज्य और एक अन्य

3 अक्तूबर, 2008

न्यायमूर्ति सी. के. ठक्कर और न्यायमूर्ति डी. के. जैन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) – धारा 49 [सपठित झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 का नियम 22] – अभियुक्त की आयु का अवधारण – यद्यपि चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकिरण-विज्ञान संबंधी परीक्षा के आधार पर दी गई राय लाभप्रद मार्गदर्शी कारक हो सकती है किन्तु वह राय अपने आप में अभियुक्त की आयु का निश्चायक सबूत नहीं मानी जा सकती ।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) – धारा 49 [सपठित झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 का नियम 22(5)(iv) तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35] – अभियुक्त की आयु का अवधारण – किशोर न्याय बोर्ड, अभियुक्त द्वारा अपना जन्म-तारीख या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने पर मतदाता सूची में उसके नाम के सामने की गई प्रविष्टि के प्रमाणक महत्व का मूल्यांकन किए बिना उसे यंत्रवत् रूप से स्वीकार नहीं कर सकता ।

प्रस्तुत अपील में अभियुक्त और प्रत्यर्थी सं. 2 को उसकी पत्नी की मृत्यु के संबंध में मृतक के भाई द्वारा, जोकि इस मामले में अपीलार्थी है, पुलिस के समक्ष किए गए कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 304ख और धारा 306 के अधीन अपराध कारित करने के कारण गिरफ्तार किया गया था । जब अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तब उसने यह दावा किया कि चूंकि उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है इसलिए वह "किशोर" है और अतः वह किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन संरक्षण और विशेषाधिकारों का हकदार है । तदनुसार, उसे बाल पुनर्वास केन्द्र भेज दिया गया था । चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से

अभियुक्त के दावे के संबंध में विवाद किया गया था इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को यह निदेश दिया कि वह अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसमें वह असफल रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने, इस संदंध में कोई राय लेखबद्ध किए बिना कि अभियुक्त किशोर है अथवा नहीं, उसे बोर्ड के समक्ष भेज दिया । चूंकि अभियुक्त अपनी आयु के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था इसलिए बोर्ड ने उसे परीक्षा के लिए और उसकी आयु के अवधारण के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष भेज दिया । बोर्ड ने, अभियोजन-पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने और उसकी शारीरिक रचना का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि घटना की तारीख को अभियुक्त की आयु अठारह वर्ष से अधिक थी और इसलिए उसके संबंध में अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, बाल पुनर्वास केन्द्र को यह निदेश दिया गया कि वह अभियुक्त को नियमित कारागार में स्थानांतरित कर दे और उसके अधीक्षक को यह निदेश दिया जाए कि अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए । बोर्ड द्वारा पारित आदेश को अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी । उच्च न्यायालय का मत यह था कि बोर्ड ने झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 22(5)(iv) के निबंधनानुसार प्राप्त की गई चिकित्सा बोर्ड की राय को अनदेखा कर दिया है जिसमें अभियुक्त की आयु 17-18 वर्ष दर्शाई गई थी । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली; बोर्ड के आदेश को अभिखंडित कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सुसंगत समय पर किशोर था । मृतक के भाई ने विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 22 के अनुसार, जन्म या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्रों के अभाव में, बोर्ड के लिए, किसी व्यक्ति की आयु की बाबत निष्कर्ष लेखबद्ध करने की दृष्टि से सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की राय लेना आवश्यक है । इस नियम के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि बोर्ड चिकित्सा बोर्ड की राय लेने के लिए बाध्य है तथापि, वह राय अपने आप में संबद्ध व्यक्ति की आयु का निश्याचक सबूत नहीं होती है । वह एक राय से अधिक कुछ नहीं होती । इसके अतिरिक्त, जबकि

चिकित्सीय-विधिक राय यह है कि जलवायु-संबंधी, आहार-संबंधी परिवर्तनों, वंशानुगत और अन्य कारणों से देश के विभिन्न राज्यों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए आयु के अवधारण के लिए एकसमान मानक विरचित करना अविवेकपूर्ण होगा । यह सही है कि विकिरण विज्ञान द्वारा परीक्षा करने के आधार पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी गई राय किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए एक लाभकारी मार्गदर्शी कारक है किन्तु वह अविवादास्पद नहीं है । यह सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए एक निश्चित फार्मूला अधिकथित करना न तो साध्य है और न ही वांछनीय है । जन्म की तारीख अभिलेख पर दी गई सामग्री और पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधारित की जानी होती है । यद्यपि किसी व्यक्ति की आयु के बारें में चिकित्सीय साक्ष्य एक अत्यंत लाभप्रद मार्गदर्शी कारक होता है तथापि, वह निश्चायक नहीं होता और उस पर अन्य अकाट्य साक्ष्य के साथ-साथ विचार करना होगा । (पैरा 16 और 17)

उच्च न्यायालय के समक्ष संविवाद की प्रकृति और उन सुसंगत कानूनी उपबंधों की स्कीम को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था, कार्रवाई की ऋजुता की यह मांग थी कि अभियुक्त द्वारा फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका में शिकायतकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाए । इसके अतिरिक्त, उसे एक पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में आलिप्त किया गया था और स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जब अभियुक्त को किशोर घोषित किया गया था । अतः, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर दिए बिना बोर्ड द्वारा पारित आदेश को उलटने में गलती की है । (पैरा 11)

जहां तक बोर्ड का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उसने मतदाता सूची में की गई प्रविष्टि का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसके प्रामाणिक मूल्य का मूल्यांकन किए बिना उसे यंत्रवत् रूप से निश्चायक सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया है । (पैरा 22)

मामले के तथ्यों के आधार पर, यह दर्शित करने वाले साक्ष्य के अभाव में कि मतदाता सूची में अभियुक्त के नाम के सामने प्रविष्टि किस सामग्री के आधार पर की गई थी, मतदाता सूची की, यद्यपि वह धारा 35 के निबंधनानुसार एक लोक दस्तावेज है, प्रति प्रस्तुत करना मात्र अभियुक्त की आयु साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था । इसी प्रकार, यद्यपि चिकित्सा

बोर्ड की उस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था, जिसमें अभियुक्त की आयु 17-18 वर्ष दर्शाई गई है, तथापि, आदेश में इस संबंध में कोई संकेत नहीं है कि क्या बोर्ड ने चिकित्सा बोर्ड के किसी सदस्य को समन किया था और उसका कथन लेखबद्ध किया था । यह भी प्रकट होता है कि बोर्ड ने ऊपर उल्लिखित निष्कर्ष पर पहुंचने में अभियुक्त की शारीरिक प्रतीति को महत्व दिया और यह भी किसी अपचारी की आयु अवधारित करने का कोई निश्चायक कारक नहीं हो सकता है । जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उसके आदेश में इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि बोर्ड द्वारा नियम 22(5)(iv) की किस प्रकार अनदेखी की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश ने भी चिकित्सा बोर्ड की राय को उक्त नियम के निबंधनानुसार निश्चायक मानकर स्वीकार कर लिया है । अतः, ऊपर उल्लिखित आधार को कायम नहीं रखा जा सकता जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने बोर्ड की राय को अपास्त कर दिया है और अभियुक्त को किशोर अभिनिर्धारित किया है । (पैरा 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 9 एस. सी. सी. 428 : **जितेन्द्र राम उर्फ जीतू** बनाम **झारखंड राज्य** ;	14
[2004]	(2004) 13 एस. सी. सी. 472 : **पी. सुन्दरराजन और अन्य** बनाम **आर. विद्या शेखर** ;	5
[2004]	(2004) 7 एस. सी. सी. 659 : **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** बनाम **जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनन्द और अन्य** ;	5
[2001]	(2001) 10 एस. सी. सी. 629 : **आन्ध्र प्रदेश राज्य** बनाम **एम. पोशेट्टी** ;	5
[2001]	(2001) 5 एस. सी. सी. 714 : **रामदेव चौहान** उर्फ **राज नाथ** बनाम **असम राज्य** ;	16
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 488 : **अर्नित दास** बनाम **बिहार राज्य** ;	18
[1997]	(1997) 8 एस. सी. सी. 720 : **भोला भगत** बनाम **बिहार राज्य** ;	13

[1997]	(1997) 4 एस. सी. सी. 241 : **कृष्णन् और एक अन्य** बनाम **कृष्णवेणी और एक अन्य** ;	5
[1988]	(1988) सप्ली. एस. सी. सी. 604 : **बिराड मल सिंघवी** बनाम **आनन्द पुरोहित** ।	28

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की दांडिक अपील सं. 1572.

2006 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 836 में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 21 दिसम्बर, 2006 के निर्णय और अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री ओ. पी. भदानी, ब्रज भूषण और अजय शंकर

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री मनीष कुमार शरण, ए. के. राय और बी. के. सतीजा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डी. के. जैन ने दिया ।

न्या. जैन – इजाजत दी जाती है ।

2. यह अपील 2006 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 836 में रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तारीख 21 दिसम्बर, 2006 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई है । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा किशोर न्याय बोर्ड, दुमका (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बोर्ड' कहा गया है) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जिसे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 53 के अधीन फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली । विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिकथित अपराध कारित किए जाने की तारीख को अभियुक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत 'किशोर' था ।

3. राजेश महाता को, जो कि इस अपील में अभियुक्त और प्रत्यर्थी सं. 2 है, उसकी पत्नी की मृत्यु के संबंध में मृतक के भाई द्वारा, जोकि इस मामले में अपीलार्थी है, पुलिस के समक्ष किए गए कथन के आधार पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में भा. दं. सं. कहा गया है) की धारा 304ख और धारा 306 के अधीन अपराध कारित करने के कारण गिरफ्तार किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि जब अभियुक्त को देवघर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था तब उसने

यह दावा किया कि चूंकि उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है इसलिए वह "किशोर" है और अतः अधिनियम के अधीन संरक्षण और विशेषाधिकारों का हकदार है । तदनुसार, उसे बाल पुनर्वास केन्द्र, दुमका में भेज दिया गया था । चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से तारीख 8 फरवरी, 2006 को अभियुक्त के दावे के संबंध में विवाद किया गया था इसलिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को यह निदेश दिया कि वह अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे जिसमें वह असफल रहा । ऐसा प्रतीत होता है कि मजिस्ट्रेट ने, इस संबंध में कोई राय लेखबद्ध किए बिना कि अभियुक्त किशोर है अथवा नहीं, उसे बोर्ड के समक्ष भेज दिया । चूंकि अभियुक्त अपनी आयु के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था इसलिए बोर्ड ने उसे परीक्षा के लिए और उसकी आयु के अवधारण के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष भेज दिया । बोर्ड ने, अभियोजन-पक्ष द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने और उसकी शारीरिक रचना का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि घटना की तारीख को अभियुक्त की आयु अठारह वर्ष से अधिक थी और इसलिए उसके संबंध में अधिनियम के अधीन कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, बाल पुनर्वास केन्द्र, दुमका को यह निदेश दिया गया कि वह अभियुक्त को नियमित कारागार में स्थानांतरित कर दे और उसके अधीक्षक को यह निदेश दिया जाए कि अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए । बोर्ड द्वारा पारित आदेश को अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी । उच्च न्यायालय का मत यह था कि बोर्ड ने झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 (जिन्हें संक्षेप में 'नियम' कहा गया है) के नियम 22(5)(iv) के निबंधनानुसार प्राप्त की गई चिकित्सा बोर्ड की राय को अनदेखा कर दिया है जिसमें अभियुक्त की आयु 17-18 वर्ष दर्शाई गई थी । इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण याचिका मंजूर कर ली; बोर्ड के आदेश को अभिखंडित कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सुसंगत समय पर किशोर था । मृतक के भाई ने विशेष इजाजत लेकर यह अपील फाइल की है ।

4. हमने पक्षकारों के विद्वान काउन्सेलों को सुना है ।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउन्सेल ने यह निवेदन किया कि चूंकि उच्च न्यायालय का आदेश अपीलार्थी को, जोकि

स्वीकृत रूप से पुनरीक्षण याचिका में एक पक्षकार था, नोटिस दिए बिना पारित किया गया था इसलिए उससे नैसर्गिक न्याय तथा कानूनी उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है और वह अवैध है तथा उसे केवल इसी संक्षिप्त आधार पर अपास्त किया जाना चाहिए । इस प्रतिपादना के समर्थन में कि कोई भी प्रतिकूल आदेश संबंधित पक्षकार की सुनवाई किए बिना पारित नहीं किया जा सकता, **पी. सुन्दरराजन और अन्य** बनाम **आर. विद्या शेखर**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का अवलंब लिया गया था । गुणागुण के आधार पर यह दलील दी गई थी कि उच्च न्यायालय नियम 22(5) की परिधि पर उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार करने में असफल रहा है । विद्वान काउन्सेल के अनुसार, उक्त नियम के अधीन प्राप्त की गई चिकित्सीय राय केवल एक मार्गदर्शी कारक है न कि आयु के अवधारण की एकमात्र कसौटी है और इसलिए उच्च न्यायालय, अभियुक्त की आयु के संबंध में कोई निर्णय करने से पूर्व अन्य सुसंगत कारकों और अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य को अनदेखा नहीं कर सकता था । यह भी अभिवाक् किया गया था कि पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता की परिधि सीमित होने के कारण, उच्च न्यायालय ने बोर्ड द्वारा कारित किसी तात्विक अनियमितता का उल्लेख किए बिना बोर्ड द्वारा पारित सकारण आदेश में हस्तक्षेप करके गलती की है और ऐसा तब जब कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 52 के अधीन, जिसके अधीन उच्च न्यायालय की अधिकारिता अधिक व्यापक है, अपील के रूप में उसे उपलब्ध उपचार का उपभोग न करने का विकल्प अपनाया था । इस दलील के समर्थन में कि पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां सीमित होती हैं और उनका प्रयोग यदा-कदा और सतर्कतापूर्वक किया जाना चाहिए, **कृष्णन् और एक अन्य** बनाम **कृष्णवेणी और एक अन्य**[2], **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** बनाम **जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनन्द और अन्य**[3] वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया गया था । **आन्ध्र प्रदेश राज्य** बनाम **एम. पोशेट्टी**[4] वाले मामले के प्रति भी निर्देश किया गया था जिसमें इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई कारण लेखबद्ध किए बिना विचारण न्यायालय द्वारा निकाले

---

[1] (2004) 13 एस. सी. सी. 472.

[2] (1997) 4 एस. सी. सी. 241.

[3] (2004) 7 एस. सी. सी. 659.

[4] (2001) 10 एस. सी. सी. 629.

गए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी की थी । इसलिए, यह दलील दी गई थी कि उच्च न्यायालय ने अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता संबंधी शक्तियों का दुरुपयोग किया है ।

6. अभियुक्त की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान काउन्सेल ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जोरदार रूप से समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि चूंकि समस्त सुसंगत सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध थी, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था ।

7. अभिलेख पर विद्यमान सामग्री पर उत्सुकतापूर्वक विचार करने के पश्चात्, हमारे निर्णयानुसार, उच्च न्यायालय तथा बोर्ड द्वारा पारित आदेश विधि तथा तथ्यों के आधार पर कायम नहीं रखे जा सकते ।

8. अधिनियम की धारा 52 में यह उपबंध है कि अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा । अधिनियम की धारा 53 उच्च न्यायालय को सक्षम प्राधिकारी या सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के लिए पुनरीक्षण संबंधी अधिकारिता प्रदान करती है । वह धारा निम्नलिखित रूप में है :–

> "**53. पुनरीक्षण** - उच्च न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को, जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी या सेशन न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया हो, आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे :
>
> परन्तु उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, पारित नहीं करेगा ।"

9. इस धारा के परन्तुक के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं कर सकता जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो । इस प्रक्रम पर यह उल्लेख करना लाभप्रद होगा कि अधिनियम की धारा 54 में

वह प्रक्रिया भी विहित की गई है जिसका अनुसरण अधिनियम के अधीन जांचों, अपीलों और पुनरीक्षणों पर कार्यवाही करते समय किया जाना होता है । उसकी उपधारा (2) में यह अनुबद्ध है कि अधिनियम के अधीन स्पष्टतः जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यावत्साध्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में 'संहिता' कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार होगी । संहिता की धारा 401 की उपधारा (2) में यह अनुध्यात है कि उक्त धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक न किया जाएगा जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या प्लीडर द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो ।

10. इसके अतिरिक्त, अब तक यह सुस्थापित हो चुका है कि कतिपय आपवादिक स्थितियों के सिवाय, 'दूसरे पक्ष को भी सुनो' के सिद्धांत में यह आदिष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई किए दोषी नहीं ठहराया जाएगा । यह नैसर्गिक न्याय के नियमों का एक भाग है और नैसर्गिक न्याय की आत्मा कार्यवाही में ऋजु व्यवहार करना है, जिसका अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिकूल या विपरीत आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई करने से पूर्व उसे सुने जाने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए ।

11. विचारार्थ प्रश्न यह है कि जब कि कानूनी उपबंधों में आदिष्ट है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की यह मांग है कि विनिश्चय करने से पूर्व सुना जाए तो क्या उच्च न्यायालय का अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान न करना न्यायोचित था अथवा नहीं ? हमारी राय में, उच्च न्यायालय के समक्ष संविवाद की प्रकृति और उन सुसंगत कानूनी उपबंधों की स्कीम को ध्यान में रखते हुए जिनके अधीन उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा था, कार्रवाई की ऋजुता की यह मांग थी कि अभियुक्त द्वारा फाइल की गई पुनरीक्षण याचिका में शिकायतकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाए । इसके अतिरिक्त, उसे एक पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में आलिप्त किया गया था और स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था जब अभियुक्त को किशोर घोषित किया गया था । अतः, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर दिए बिना बोर्ड द्वारा पारित आदेश को

उलटने में गलती की है । तद्नुसार, हम विद्वान काउन्सेल की इस दलील को कायम रखते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश इस संक्षिप्त प्रश्न पर ही अपास्त किया जाना चाहिए ।

12. अब हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करेंगे, अर्थात् बोर्ड ने अभियुक्त की आयु का अवधारण करने के लिए, जोकि यह दावा कर रहा है कि घटना की तारीख को वह किशोर था, सही पैरामीटर लागू किया था अथवा नहीं । किसी अपचारी की आयु का अवधारण करना, विशेषकर सीमांत मामलों में एक जटिल कार्यवाही होती है । अधिनियम में ऐसे कोई नियत मानदंड अधिकथित नहीं किए गए हैं जिन्हें किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए लागू किया जा सकता है । अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1) में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण के लिए उपबंध हैं और वह इस प्रकार है :–

> "**49. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण –** (1) जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन उसके समक्ष (साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ से अन्यथा) लाया गया व्यक्ति किशोर या बालक है वहां सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की आयु के बारे में सम्यक् जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसा साक्ष्य लेगा (किन्तु शपथपत्र नहीं) जो आवश्यक हो और उस व्यक्ति की आयु यथाशक्य निकटतम रूप से कथित करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है या नहीं ।
>
> (2) * * * * *"

13. इस उपबंध के पठन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि इसमें मात्र यह उपबंध है कि जब सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति एक किशोर है तब बोर्ड उस व्यक्ति की आयु के विषय में जांच करने के लिए बाध्य है और उस प्रयोजनार्थ वह ऐसा साक्ष्य लेगा जोकि आवश्यक हो और उसके बाद यह निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा कि प्रश्नगत व्यक्ति किशोर है अथवा नहीं । किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 32 की, जोकि तात्विक रूप से अधिनियम की धारा 49 के समान है, परिधि और प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए **भोला भगत** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने

---

[1] (1997) 8 एस. सी. सी. 720.

निम्नलिखित रूप में मत व्यक्त किया था :–

"…. जब किसी अभियुक्त की ओर से यह अभिवाक् किया जाता है कि वह अधिनियम के अधीन की गई अभिव्यक्ति की परिभाषा के अर्थान्तर्गत "बालक" है तो न्यायालय के लिए, यदि वह अभियुक्त द्वारा यथा-दावाकृत आयु के बारे में किसी शंका को ग्रहण करता है, यह आबद्धकर हो जाता है कि वह अभियुक्त की आयु के प्रश्न का अवधारण करने के लिए स्वयं जांच करें या जांच कराए और उसके संबंध में, यदि आवश्यक हो तो पक्षकारों को उस संबंध में साक्ष्य पेश करने का निदेश देते हुए, रिपोर्ट मंगाए । समाजोन्मुखी विधान की लाभकारी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जहां ऐसा अभिवाक् किया जाता है वहां न्यायालय उस अभिवाक् की सावधानीपूर्वक परीक्षा करने के लिए आबद्ध है और वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता और उस अभिवाक् के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकाले बिना किसी अभियुक्त को इन उपबंधों के फायदे से वंचित नहीं कर सकता । न्यायालय को आयु के संबंध में जांच अवश्य करनी चाहिए और कोई न कोई निष्कर्ष अवश्य निकालना चाहिए ।"

14. तथापि, **जितेन्द्र राम** उर्फ **जीतू** बनाम **झारखंड राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस संबंध में सतर्क किया कि **भोला नाथ** वाले (उपर्युक्त) मामले में की गई ऊपर कथित मताभिव्यक्तियों का अभिप्राय यह नहीं होगा कि ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जोकि उक्त अधिनियम के फायदे का हकदार नहीं है, केवल इसलिए उदार कार्यवाही की जाएगी क्योंकि ऐसा अभिवाक् किया गया है । प्रत्येक अभिवाक् के संबंध में उसके अपने गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और प्रत्येक मामले पर अभिलेख पर लाई गई सामग्री के आधार पर विचार किया जाना चाहिए ।

15. इस प्रक्रम पर, यह उल्लेख करना सुसंगत है कि झारखंड राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 विरचित किए हैं । उसके नियम 22 में वह प्रक्रिया अधिकथित की गई है जिसका अनुसरण बोर्ड द्वारा आयु के संबंध में जांच करने और उसका अवधारण के लिए करना होता है । उक्त नियम का उपनियम (5), जोकि प्रस्तुत मामले के लिए तात्विक है, निम्नलिखित रूप में है :–

---

[1] (2006) 9 एस. सी. सी. 428.

*"**22. बोर्ड द्वारा जांच करने और आयु का अवधारण करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया** – (1)...........

(5) किसी किशोर या बालक से संबंधित प्रत्येक मामले में, बोर्ड या तो –

(i) किसी निगम या नगरपालिक प्राधिकरण द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र लेगा; या

(ii) ऐसे विद्यालय से, जिसमें पहली बार प्रवेश लिया गया हो, जन्म प्रमाणपत्र की तारीख लेगा; या

(iii) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो लेगा; और

(iv) उपर्युक्त (i) से (iii) के अभाव में, सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की चिकित्सीय राय, ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा लेखबद्ध कारणों से पात्र मामलों में एक वर्ष के मार्जिन के अधीन रहते हुए (उसकी आयु के संबंध में और ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, यथास्थिति, ऐसे साक्ष्य, जोकि उपलब्ध हो, या चिकित्सा राय

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

"22. **Procedure to be followed by a Board in holding inquiries and the determination of age** – (1)..............

(5) In every case concerning a juvenile or a child, the Board shall either obtain –

(i) a birth certificate given by a corporation or a municipal authority; or

(ii) a date of birth certificate from the school first attended; or

(iii) matriculation or equivalent certificates, if available; and

(iv) in the absence of (i) to (iii) above, the medical opinion by a duly constituted Medical Board, subject to a margin of one year, in deserving cases for the reasons to be recorded by such Medical Board, (regarding his age and, when passing orders in such case shall, after taking into consi-

पर विचार करने के पश्चात् उसकी आयु की बाबत निष्कर्ष लेखबद्ध कर सकेगा) ।"

16. इस प्रकार, नियम 22 के अनुसार, जन्म या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्रों के अभाव में, बोर्ड के लिए, किसी व्यक्ति की आयु की बाबत निष्कर्ष लेखबद्ध करने की दृष्टि से सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की राय लेना आवश्यक है । इस नियम के पठन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि बोर्ड चिकित्सा बोर्ड की राय लेने के लिए बाध्य है तथापि, वह राय अपने आप में संबद्ध व्यक्ति की आयु का निश्याचक सबूत नहीं होती है । वह एक राय से अधिक कुछ नहीं होती । इसके अतिरिक्त, जबकि चिकित्सीय-विधिक राय यह है कि जलवायु-संबंधी, आहार-संबंधी परिवर्तनों, वंशानुगत और अन्य कारणों से देश के विभिन्न राज्यों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए आयु के अवधारण के लिए एकसमान मानक विरचित करना अविवेकपूर्ण होगा । यह सही है कि विकिरण विज्ञान द्वारा परीक्षा करने के आधार पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा दी गई राय किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए एक लाभकारी मार्गदर्शी कारक है किन्तु वह अविवादास्पद नहीं है । किसी व्यक्ति की आयु के बारे में एक्सरे परीक्षणों के आधार पर किसी डाक्टर की राय के साक्ष्य संबंधी मूल्य पर टिप्पणी करते हुए **रामदेव चौहान** उर्फ **राज नाथ** बनाम **असम राज्य**[1] वाले मामले में न्यायमूर्ति आर. पी. सेठी ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ में बहुमत की ओर से निर्णय सुनाते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :–

> "............एक्सरे ऑसिफिकेशन (अस्थि-विकास) परीक्षण किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए चिकित्सीय विशेषज्ञ की राय की अपेक्षा एक निश्चित आधार प्रदान कर सकता है किन्तु वह किसी भी प्रकार से इतना भ्रमातीत और सही परीक्षण नहीं हो सकता कि उससे संबद्ध व्यक्ति के जन्म की सही तारीख उपदर्शित होती हो । किसी अभियुक्त की आयु का अवधारण करने के लिए चिकित्सा न्यायशास्त्र और विषविज्ञान विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तकों का अत्यधिक अवलंब नहीं लिया जा सकता । भिन्न-भिन्न अक्षांतरों,

---

deration such evidence as the case may be record a finding in respect of his age)."

1 (2001) 5 एस. सी. सी. 714.

ऊंचाइयों, पर्यावरण, वनस्पति और आहार वाले इस विशाल देश में व्यक्तियों की ऊंचाई और भार के एकसमान होने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती ।"

17. यह सुस्थापित है कि किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए एक निश्चित फार्मूला अधिकथित करना न तो साध्य है और न ही वांछनीय है । जन्म की तारीख अभिलेख पर दी गई सामग्री और पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधारित की जानी होती है । यद्यपि किसी व्यक्ति की आयु के बारे में चिकित्सीय साक्ष्य एक अत्यंत लाभप्रद मार्गदर्शी कारक होता है तथापि, वह निश्चायक नहीं होता और उस पर अन्य अकाट्य साक्ष्य के साथ-साथ विचार करना होगा ।

18. यह सही है कि **अर्नित दास** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने न्यायिक राय का पुनर्विलोकन करने पर यह मत व्यक्त किया है कि इस बात का पता लगाने के प्रयोजनार्थ कि क्या अभियुक्त किशोर है अथवा नहीं, उसकी आयु का अवधारण करने के प्रश्न पर विचार करते समय अभियुक्त की ओर से इस अभिवाक् के समर्थन में कि वह किशोर था, पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए और यदि एक ही साक्ष्य के आधार पर दो मत संभव हों तो न्यायालय को सीमांत मामलों में यह अभिनिर्धारित करने के पक्ष में अग्रसर होना चाहिए कि अभियुक्त किशोर था । हमें इस तथ्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि कल्याणकारी विधान होने के कारण न्यायालयों को इस बात के लिए आतुर होना चाहिए कि किशोर को अधिनियम के उपबंधों का पूरा फायदा प्राप्त हो किन्तु इसके साथ-साथ न्यायालयों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि बेइमान व्यक्ति गंभीर अपराध कारित करने के कारण दंडादेश से बचने के लिए अधिनियम के अधीन प्राप्त संरक्षण और विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न करें ।

19. इन व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हम प्रस्तुत मामले के तथ्यों का उल्लेख करेंगे । निस्संदेह, बोर्ड के समक्ष न तो जन्म की तारीख वाला प्रमाणपत्र और न ही किसी विद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया था और इसलिए बोर्ड को सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की चिकित्सीय राय प्राप्त करनी थी, जो कि प्राप्त कर ली गई थी । चिकित्सा बोर्ड ने अभियुक्त के ऑसिफिकेशन (अस्थि-विकास) परीक्षण कराए और यह राय व्यक्त की कि उसकी आयु 17-18

---

[1] (2000) 5 एस. सी. सी. 488.

वर्ष के बीच थी । इसलिए, नियम 22(5)(iv) में नियत एक वर्ष के मार्जिन के साथ उसकी आयु 16 वर्ष या 19 वर्ष भी हो सकती थी । उक्त राय के अतिरिक्त, अभियोजन-पक्ष ने बोर्ड के समक्ष देवघर निर्वाचन-क्षेत्र की वर्ष 2005 मतदाता सूची भी प्रस्तुत की । उस सूची में, अभियुक्त का नाम क्रम सं. 317 पर था और उसकी आयु 20 वर्ष अभिलिखित थी । इस सामग्री और अभियुक्त की शारीरिक प्रतीति को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने निम्न प्रकार राय व्यक्त की :–

> "आवेदक राजेश महाता किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित है । उसकी शारीरिक रचना को देखने से यह प्रतीत होता है कि वह एक वयस्क है । चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्ट में भी उसकी आयु 17-18 वर्ष दर्शाई गई है ।
>
> उसकी वयस्कता को वर्ष 2005 की मतदाता सूची से सत्यापित किया जा सकता है जिसमें आवेदक की आयु 20 वर्ष दर्शाई गई है । बोर्ड के अन्य सदस्यों की राय भी यह है कि आवेदक राजेश महाता वयस्क प्रतीत होता है और घटना की तारीख की पृष्ठभूमि में वह एक वयस्क था ।
>
> अतः, बोर्ड के सदस्यों की समवर्ती राय द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक राजेश महाता घटना की तारीख की पृष्ठभूमि में 18 वर्ष से अधिक आयु का एक 'वयस्क' है ।"

20. जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने बोर्ड की राय को उलट दिया । उच्च न्यायालय के आदेश का सुसंगत भाग निम्नलिखित रूप में है :–

> "मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह निष्कर्ष है कि झारखंड किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2003 में नियम 22 द्वारा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किसी किशोर की आयु के अवधारण के लिए जांच करते समय अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तैयार की गई है । नियम 22(5)(iv) में यह उपबंध है कि विधि में परस्पर-विरोध होने पर किसी किशोर के जन्म प्रमाणपत्र के अभाव में सम्यक् रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की राय एक वर्ष के मार्जिन के अधीन रहते हुए उसकी आयु के अवधारण के लिए मार्गदर्शी कारक होगी । मेरा यह निष्कर्ष है कि किशोर न्याय बोर्ड तथा सेशन न्यायालय द्वारा नियम के

उक्त उपबंध की अनदेखी की गई है ।

इन परिस्थितियों में, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा तारीख 3 जून, 2006 को पारित वह आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा और जिसके अधीन याची की आयु 18 वर्ष से अधिक अवधारित की गई थी, अपास्त किया जाता है और देवघर के प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश को यह निदेश दिया जाता है कि वह किशोर के अभिलेख को विधि के अनुसार यथासंभव शीघ्र किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेजते हुए समुचित आदेश पारित करे ।"

21. बोर्ड तथा उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धृत आदेशों से यह प्रकट होता है कि दोनों न्यायालयों द्वारा अभियुक्त की आयु के अवधारण से संबंधित प्रश्न को इस विषय से संबंधित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए आकस्मिक रीति में विनिश्चित किया गया है ।

22. जहां तक बोर्ड का संबंध है, यह स्पष्ट है कि उसने मतदाता सूची में की गई प्रविष्टि का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 के उपबंधों के निबंधनानुसार उसके प्रामाणिक मूल्य का मूल्यांकन किए बिना उसे यंत्रवत् रूप से निश्चायक सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया है । उक्त अधिनियम की धारा 35 में यह अधिकथित है कि किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा उस देश की विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है । यह सही है कि किसी दस्तावेज को धारा 35 के अधीन ग्राह्य बनाने के लिए तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं, अर्थात् (i) जिस प्रविष्टि का अवलंब लिया गया है वह ऐसी होनी चाहिए जो किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में की गई है; (ii) वह एक ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिए जिसमें विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन हो, और (iii) वह किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में या विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट अपने कर्तव्य के पालन में की गई हो । विद्यालय रजिस्टर में जन्म की तारीख से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत और ग्राह्य है किन्तु किसी विद्यालय रजिस्टर में किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में की गई प्रविष्टि का इतना अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है कि ऐसी सामग्री के अभाव में, जिसके आधार पर आयु लेखबद्ध की गई थी, उस व्यक्ति की आयु साबित की जा सके । (देखिए : **बिराड मल सिंघवी** बनाम **आनन्द**

पुरोहित[1]) ।

23. अतः, मामले के तथ्यों के आधार पर, यह दर्शित करने वाले साक्ष्य के अभाव में कि मतदाता सूची में अभियुक्त के नाम के सामने प्रविष्टि किस सामग्री के आधार पर की गई थी, मतदाता सूची की, यद्यपि वह धारा 35 के निबंधनानुसार एक लोक दस्तावेज है, प्रति प्रस्तुत करना मात्र अभियुक्त की आयु साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था । इसी प्रकार, यद्यपि चिकित्सा बोर्ड की उस रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था, जिसमें अभियुक्त की आयु 17-18 वर्ष दर्शाई गई है, तथापि, आदेश में इस संबंध में कोई संकेत नहीं है कि क्या बोर्ड ने चिकित्सा बोर्ड के किसी सदस्य को समन किया था और उसका कथन लेखबद्ध किया था । यह भी प्रकट होता है कि बोर्ड ने ऊपर उल्लिखित निष्कर्ष पर पहुंचने में अभियुक्त की शारीरिक प्रतीति को महत्व दिया और यह भी किसी अपचारी की आयु अवधारित करने का कोई निश्चायक कारक नहीं हो सकता है । जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उसके आदेश में इस बारे में कोई संकेत नहीं है कि बोर्ड द्वारा नियम 22(5)(iv) की किस प्रकार अनदेखी की गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश ने भी चिकित्सा बोर्ड की राय को उक्त नियम के निबंधनानुसार निश्चायक मानकर स्वीकार कर लिया है । अतः, ऊपर उल्लिखित आधार को कायम नहीं रखा जा सकता जिसके आधार पर उच्च न्यायालय ने बोर्ड की राय को अपास्त कर दिया है और अभियुक्त को किशोर अभिनिर्धारित किया है ।

24. हमारे निर्णयानुसार, इस तथ्य के अतिरिक्त कि आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमणकारी होने संबंधी मूलभूत त्रुटि से ग्रस्त है, इसे गुणागुण के आधार पर भी कायम नहीं रखा जा सकता । इसके साथ-साथ, हमारा यह समाधान भी हो गया है कि बोर्ड का आदेश अधिनियम की धारा 49 में यथा-परिकल्पित समुचित जांच किए बिना किया गया है ।

25. ऊपर उल्लिखित कारणों से, अपील मंजूर की जाती है और मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवघर को, जो कि बोर्ड की अध्यक्षता कर रहा है, इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ऊपर प्रतिपादित विधि के अनुसार अभिकथित अपराध कारित करने की तारीख

---

[1] (1988) सप्ली. एस. सी. सी. 604.

को अभियुक्त की आयु को पुनः अवधारित करे । यदि उसे अधिनियम के अर्थान्तर्गत किशोर पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी । तथापि, यदि उसे किशोर नहीं पाया जाता है तो उसका साधारण आपराधिक विधि के अधीन विचारण किया जाएगा । यह जांच यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति से छह मास के भीतर पूरी कर ली जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो./अनू.

[2009] 2 उम. नि. प. 377

बी. एस. माथुर और एक अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

15 अक्तूबर, 2008

मुख्य न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन्, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् और न्यायमूर्ति जे. एम. पंचाल

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 और 309 [सपठित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियम, 1970 का नियम 8(2), 7, 16 और 17] – दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता – दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधे भर्ती किए गए और प्रोन्नत किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण करने के लिए निरन्तर सेवाकाल का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, जो कि अत्यधिक साम्यापूर्ण नियम है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 और 309 [सपठित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का तारीख 3 जुलाई, 1986 का कार्यालय ज्ञापन] – ज्येष्ठता का अवधारण – चूंकि उक्त कार्यालय ज्ञापन में वर्षानुवर्ष के आधार पर सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करना और किसी विशिष्ट प्रवर्ग में भरी न गई रिक्तियों का वर्षवार अभिलेख रखना अनुध्यात है, इसलिए जहां ये दोनों शर्तें पूरी नहीं की जातीं वहां उक्त कार्यालय ज्ञापन लागू करके ज्येष्ठता अवधारित नहीं की जा सकती ।

प्रस्तुत मामले का संबंध दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रोन्नत किए